IS 15700:2005
सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
प्रशासन अनुभाग
104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

संख्याः 543/प्रशा0एक–189/2014 दिनांकः 06/03/2014

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त(म0) के आदेशान्तर्गत जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने कार्यों के साथ–साथ इलेक्ट्रोस्टेट का संचालन कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह रू0 300.00(तीन सौ रूपये मात्र) का भुगतान तब तक किया जायेगा, जब तक इलेक्ट्रोस्टेट मशीन पर कार्य करेंगे। नियंत्रक अधिकारी द्वारा पुष्टि करने के उपरान्त ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी को पूर्व में मानदेय स्वीकृत किया गया है एवं वर्तमान में उससे कार्य नहीं लिया जा रहा है, तो कार्य न लेने की तिथि से नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आहरण वितरण आधिकारी को अवगत करायें।

उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अधिक भुगतान की वसूली नियंत्रक अधिकारी से की जायेगी।

/
(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त आवास आयुक्त(जोनल)
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजन/समस्त मुख्यालय के अनुभागाध्यक्ष।
4. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

6/3/14
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

Ram Shanker